चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक :– सम्बद्धता/1101
दिनांक : 28.7.2021

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,

समस्त सम्बद्ध स्ववित्त पोषित संस्थान/महाविद्यालय,

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्रांकः पी0ए0/2660, दिनांक 16.04.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा संस्थान में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान किये जाने हेतु आदेश प्रदान किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय को कपितय संस्थानों/महाविद्यालयों के सम्बन्ध में शिकायते प्राप्त हो रही है कि उनके द्वारा कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 20.07.2021 के आलोक में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 05.08.2021 तक रू0 100/– का इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि संस्थान/महाविद्यालयों में संचालित प्रत्येक पाठयक्रम में नियमानुसार शिक्षक कार्यरत है, उनको तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को लाकडाउन की अवधि से वर्तमान तक नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

यदि निर्धारित अवधि में संस्थान/महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो सम्बन्धित संस्थान का नाम शैक्षिक सत्र 2021–22 में छात्रों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बी0एड0 संस्थानों का नाम छात्रों के प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं किया जाएगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व संस्थान का होगा।

भवदीय,

28.07.2021

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
04. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Lalit (94)

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)